Indira Gandhi University
Meerpur-Rewari

इंदिरा गाँधी विश्वविद्यालय
मीरपुर-रेवाड़ी

(A State University Established under Haryana Act No. 29 of 2013)
Recognized u/s 12 (b) & 2(f) of UGC Act, 1956

NOTIFICATION

It is notified for information of all concerned that the University will open with the presence of students on Campus from 20th November, 2020 in following phases:

Phases	w.e.f.
Phase – I for Ph.D. Scholars and Students (Day scholars) of various UG/PG programmes who require entering the campus for access to laboratories/Practicals	20.11.2020
Phase – II for Ph.D. Scholars and Students (Hostellers) of various UG/PG programmes who require entering the campus for access to laboratories/Practicals	27.11.2020

Instructions/Guidelines for the above phases are as under:

1. Online classes will continue throughout semester.
2. Chairpersons/Chairperson-Incharges are authorized to call the students for Practical/ Lab Classes as well as Ph.D. research work by adhering the norms of social distancing as per protocol.
3. Chairpersons/Chairperson-Incharges are authorized to call the students for clarification of doubts/difficulties of the students which come across during online classes. The students who wants to be present in the department physically for clearing their doubts are required to seek the prior permission from the Chairperson/Chairperson-Incharge who will work as coordinator for this purpose.
4. The Guidelines issued by Director General Higher Education, Haryana vide letter no. DHE-010019/5/2020-Coordination-DHE dated 02.11.2020 alongwith the Guidelines/SOPs as mentioned below shall be followed by all the Chairpersons/Chairpersons/Hostel Warden and all other concerned for opening of the University w.e.f. 20.11.2020 for the Research Scholars and Students of various UG/PG programmes who require entering the campus for access to laboratories:
   i. Guidelines/SOPs for I.G.U. – Campus - Annexure – I
   ii. Guidelines/SOPs for UTDs - Annexure – II
   iii. Guidelines/SOPs for Hostels - Annexure – III
5. Hostel facility shall be temporary arrangement for one month and extension will be made by the Warden as per situation for another one month.

6. The Warden(s) of Boys & Girls Hostels shall prepare the proposal regarding Hostel charges to be charged from the students who will avail the hostel facility and also prepare the detailed guidelines for admission criteria to be followed for admission in Hostel(s).
7. Proper arrangements of Thermal Scanners and Sanitizers shall be made in the University Hostel(s) by the Warden before opening.
8. The Warden(s) of Boys & Girls Hostels are authorized to constitute a Committee of respective Hostel to monitor the day to day activities.
9. Internet facility shall be provided in the University Hostel(s) to enable the students to attend the Online Classes.
10. An undertaking shall be submitted by the students (as per proforma – 1) at the time of admission in the Hostel to follow the norms of University/State Govt./Central Govt. regarding COVID-19, failing which his/her admission shall be cancelled and any kind of fee will not be refunded.

REGISTRAR

Endst. No. IGU/Acad./2020/Spl-1 Dated: 19.11.2020

A copy of the above is forwarded to the following for information and necessary action:

1. P.A. to Vice-Chancellor (for kind information of the Hon'ble Vice-Chancellor), Indira Gandhi University, Meerpur - Rewari.
2. P.A. to Registrar (for kind information of the Worthy Registrar), Indira Gandhi University, Meerpur - Rewari.
3. Dean Academic Affairs, Indira Gandhi University, Meerpur.
4. Dean Students' Welfare, Indira Gandhi University, Meerpur.
5. Proctor, Indira Gandhi University, Meepur.
6. Dy. Controller of Examinations, Indira Gandhi University, Meerpur.
7. Chairperson/Chairperson-Incharges, University Teaching Departments, Indira Gandhi University, Meerpur.
8. Chief Warden and Hostel Warden Boys & Girls Hostel, Indira Gandhi University, Meerpur.
9. All the Branch Officers, Indira Gandhi University, Meerpur.
10. Public Relations Officer, Indira Gandhi University, Meerpur for wide publicity, please.
11. Incharge, University Website, Indira Gandhi University, Meerpur.

Sd/-
Deputy Registrar (Acad.)
for Registrar

इंदिरा गाँधी विश्वविद्यालय, मीरपुर को दिनांक 20.11.2020 से खोलने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया

Annexure – I

विश्वविद्यालय परिसर के लिए मानक संचालन प्रक्रिया

सुरक्षा अधिकारी द्वारा विश्वविद्यालय परिसर में लागु करवाये जाने वाले दिशा निर्देश :

1. थर्मल स्कैनिंग के बाद ही छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों के प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।
2. परिसर को नियमित रूप से साफ किया जाए।
3. हर समय और स्थानों पर छः फीट की शारीरिक दूरी सुनिश्चित की जाए।
4. बगीचों/पार्कों और खुले क्षेत्रों में छात्रों का बैठना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है।
5. अक्सर छुए जाने वाली सतहो की सफाई और नियमित कीटाणुशोधन सुनिश्चित किया जाए।
6. कर्मचारियों और छात्रों के लिए किए जाने वाले तथा न किए जाने वाले कार्यों के सांकेतिक, पोस्टर और स्टैंड प्रदर्शित किए जाए।

प्रवेश द्वार व निकास द्वार पर पालन किए जाने वाली मानक संचालन प्रक्रिया

1. कोविड–19 के बारें में निवारक उपायों पर पोस्टर/स्टैंड को प्रमुखता से स्थापित किया जाए।
2. रिसेप्शन क्षेत्र सहित सभी प्रवेश और निकास बिन्दुओं पर थर्मल स्कैनर, सैनिटाइजर, फेस मास्क की पर्याप्त व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए।
3. अनिवासी छात्रों और कर्मचारियों को केवल थर्मल स्कैनिंग, अपने हाथों की सैनिटाइजेशन और फेस मास्क पहनने के बाद ही परिसरों में अनुमति दी जाए। रोगग्रस्त व्यक्तियों (बुखार, खांसी या सांस लेने में कठिनाई) को परिसर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए और क्लिनिकल मूल्यांकन के लिए निकटतम अस्पताल से सम्पर्क करने की सलाह दी जानी चाहिए।
4. प्रवेश/ निकास बिन्दु पर भीड़ से बचा जाना चाहिए। विभिन्न कार्यक्रमों के लिए सीमित संख्या के साथ प्रवेश और निकास के कम्पित समय का पालन किया जाना चाहिए। छात्रों के निकास को मामले के अध्येताओं द्वारा शाम 04:30 बजे तक नवीनतम सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
5. छात्रों के प्रवेश और निकास की सख्त निगरानी की जाए।

गृहव्यवस्था विभाग द्वारा परिसर में पालन किए जाने वाली मानक संचालन प्रक्रिया

1. सभी कमरों में रोजाना कीटाणुनाशक का उपयोग करके तीन बार साफ किया जाना है।
2. रोगाणु मुक्त परिसर सुनिश्चित करने के लिए सभी भवनों को पूरी तरह से साफ किया जाए। हॉस्टल मेस पर सफाई का विशेष ध्यान दिया जाए।

3. छात्रावासों सहित सभी भवनों के शौचालयों/वॉश रूमों की सफाई की जाए और मुख्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिनियुक्त व्यक्ति द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि सफाई इस तरीके से की जाए कि शौचालयों में कोई खतरनाक कीटाणु न रह जाए।

4. अभियांत्रिकी शाखा यह सुनिश्चित करें कि सभी संबंधित नौकरियों के साथ–साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य, विद्युत आदि सहित सिविल कार्य उचित तरीके से किए जा रहे हैं।

5. चूक/विसंगति की सूचना सुरक्षा अधिकारी द्वारा तुरंत रजिस्ट्रार को सुधार/ दिशा के लिए लाएगा।

6. अभियांत्रिकी शाखा/सामान्य प्रशासन शाखा यह सुनिश्चित करेंगे कि हाउस कीपींग से संबन्धित कार्य ठीक से काम करने वाले व्यक्तियों द्वारा किया जाए।

सुरक्षा कर्मियों द्वारा पालन किए जाने वाली मानक संचालन प्रक्रिया

1. केवल पी.एचडी शोध कार्य तथा प्रयोगशालाओं के प्रयोग हेतू छात्रों को दिनांक 19 नवम्बर, 2020 से प्रवेश की अनुमति है। हालांकि, किसी भी विद्यार्थी को बिना पहचान पत्र और बिना मास्क पहने विश्वविद्यालय में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

2. विश्वविद्यालय के शिक्षण विभागों के विभिन्न भवनों के प्रवेश बिन्दुओं पर प्रतिनियुक्त सुरक्षाकर्मी संबंधित विभाग के प्रमुख की अनुमति के बाद ही विद्यार्थी के प्रवेश की अनुमति देंगे।

3. केवल प्रामाणिक पीएच.डी शोध कार्य तथा प्रयोगशालाओं के प्रयोग हेतू विद्यार्थियों और आवश्यक कर्मचारियों को छात्रावास परिसर में प्रवेश करने की अनुमति दी जाती है। रजिस्टर में उचित प्रविष्टि सुनिश्चित करें।

4. सभी सुरक्षाकर्मियों को मास्क पहनना आवश्यक है। वे अपने हाथों को बार–बार धोए और हाथों से अपनी आंखों, नाक और मुंह को बार–बार छूने से बचाए। यदि संभव हो तो, अपने हाथों को कीटाणुरहित करने के लिए हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करें।

5. सुरक्षा अधिकारी को प्रत्येक भवन/विभाग/छात्रावास के प्रवेश द्वार पर छात्रों की थर्मल स्क्रीनिंग तथा सुरक्षित प्रवेश के लिए सुरक्षाकर्मियों की नियुक्ति सुनिश्चित करनी चाहिए।

Annexure – II

विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग के लिए दिशा निर्देश तथा मानक संचालन प्रक्रिया

1. संबंधित विभाग द्वारा तैयार किए गए रोस्टर के अनुसार ही छात्रों को विभाग में प्रवेष करने की अनुमति दी जाएगी तथा रिकॉर्ड विभाग के कार्यलय में रखा जाए।
2. कक्षाओं, प्रयोगशालाओं तथा सामान्य क्षेत्र को नियमित रूप से साफ व स्वच्छ किया जाए।
3. छात्रों को प्रातः 10 बजे से सांय 4:00 बजे के मध्य ही अपना अध्ययन कार्य करने की अनुमति होगी।
4. सभी शिक्षण स्थलों (क्लासरूम, प्रयोगशाला, सेमिनार कक्ष) पर प्रतिदिन स्वच्छता व किटाणुशोधन सुनिश्चित किया जाए।
5. भौतिक दूरी के मानदंडों को ध्यान में रखते हुए कक्षाओं, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों आदि में बैठने के स्थानों को स्पष्ट रूप से चिंहित किया जाए। दो सीटों के बीच कम से कम एक खाली सीट रहनी चाहिए।
6. सभी छात्रों को थर्मल स्कैनिंग, हाथों के सैनिटाइजेशन और फेस मास्क पहनने के बाद ही विभाग में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी। रोगसूचक व्यक्तियों को विभाग में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी तथा ऐसे व्यक्तियों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में जाने की सलाह दी जाए।
7. विभाग के अंदर सदैव फेस मास्क पहनना अनिवार्य किया जाए।
8. पीने के पानी की उचित व्यवस्था की जाए।
9. तरल साबुन की व्यवस्था के साथ हाथ धोने के स्टेशन की व्यवस्था की जाए ताकि विद्यार्थी बार–बार अपने हाथ साफ कर सकें।
10. सभी स्थानों पर भौतिक दूरी के नियमों की अनुपालना सुनिश्चित की जाए तथा किसी भी स्थान पर भीड को इक्टठा होने की अनुमति न दी जाए।
11. शौचालयों में हाथ धोने के लिए पानी व साबुन की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की जाए।
12. डस्टबिन को अच्छी तरह से साफ और ढका होना चाहिए। उपयोग किए गए फेसमास्क, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, हाथों के दस्तानों के निपटान की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए।
13. सभी शिक्षक अपने विभाग के छात्रों को COVID – 19 संबंधित स्थिति, सुरक्षित और स्वस्थ रहने के लिए बरती जाने वाली सावधानियों और कदमों से अवगत करायें।
14. सभी शिक्षकों व छात्रों के मोबाईल में आरोग्य सेतु एप होना अनिवार्य है।
15. चिंता और अवसाद जैसे मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों की रिपोर्टिंग करने वाले छात्रों को नियमित परामर्श सुनिश्चित कराया जाए।
16. खाना या उपयोग की वस्तुएं सांझा न करें।

Annexure – III

विश्वविद्यालय छात्रावास के लिए दिशा निर्देश तथा मानक संचालन प्रक्रिया

1. वार्डन छात्रावास में COVID – 19 से संबंधित भौतिक दूरी व अन्य नियमों की अनुपालना उनकी मूल भावना के साथ सुनिश्चित करें।
2. छात्रावास के भोजनालय के समय को बढाया जाता है ताकि सभी छात्रों को फ्लोर के अनुसार भोजनालय में प्रवेश की अनुमति दी जा सके ताकि अत्यधिक भीड से बचा जा सके।
3. छात्रावास में आगंतुकों (Visitors) का प्रवेश वर्जित होगा।
4. वॉर्डन द्वारा राज्य सरकार/एमएचआरडी/यूजीसी द्वारा जारी किए गए SOPs/ दिशानिर्देशों के अनुसार छात्रावास में गतिविधियों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक समिति का गठन किया जाए।
5. सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधित उपायों को देखते हुए ही छात्रावासों को खोला जाए। हालांकि, छात्रावास में एक कमरे में एक ही विद्यार्थी को रखा जाएगा। लक्षणात्मक छात्रों को किसी भी परिस्थिति में छात्रावास में रहने की अनुमति नहीं दी जाए।
6. विश्वविद्यालय के छात्रावास में रहने वाले छात्र चूंकि विभिन्न स्थानों से आऐंगे, अतः वे अपने साथ COVID – 19 की नवीनतम परीक्षण रिपोर्ट ले के आऐंगे जिसमें उनको COVID (Negative) घोषित किया गया हो।
7. छात्रावास के उन क्षेत्रों में जहां छात्र निकटता में रहते है तथा सामान्य सुविधाओं व उपयोगिताओं को साझा करते हैं वहां कोई भीड नहीं होनी चाहिए। इसलिए, भीड़ से बचने और उचित प्रबंधन के लिए उनकी संख्या को उचित रूप से सीमित करने की आवश्यकता है।
8. संबंधित छात्रावास के प्रवेश स्थल पर सभी छात्रों की थर्मल स्क्रीनिंग सुनिश्चित की जानी चाहिए।
9. स्वास्थ्य आपातकाल की स्थिति में संबंधित छात्र को बीमारी की जाँच व इलाज के लिए निकटतम COVID – 19 उपचार केन्द्र में भेजा जाएगा।
10. भौतिक दूरी के नियमों को ध्यान में रखते हुए डाइनिंग हॉल, सामान्य कक्ष तथा खेल क्षेत्र में घनत्व सीमित होना चाहिए।
11. रसोई, डाइनिंग हॉल, बाथरूम और शौचालय आदि में स्वच्छता की स्थिति की नियमित निगरानी की जानी चाहिए।
12. डाइनिंग हॉल में स्वच्छता का ध्यान रखा जाए। अधिक भीड़ से बचने के लिए भोजन छोटे समूह में परोसा जाए। छात्रों व कर्मचारियों के लिए भोजन अपने कमरे में ले जाने का विकल्प होना चाहिए।
13. भोजन की तैयारी और वितरण मे लगे कर्मचारियों के लिए चेहरे का ढकना/फेसमास्क तथा हाथों की उचित साफ–सफाई सुनिश्चित की जानी चाहिए।
14. छात्रावास में रहने वाले छात्रों को बाजारों में जाने से बचना चाहिए।
15. छात्रावास में नागरिक कार्य (Civil Work), स्वास्थ्य, बिजली की सुविधाओं संबंधित सभी कार्य पूर्ण होने चाहिए।
16. छात्रावास में भौतिक दूरी व सामाजिक दुरी के नियमों की पालना आवश्यक है।
17. सभी छात्रों की विश्वविद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार तथा संबंधित छात्रावास के प्रवेश स्थल/द्वार पर थर्मल स्क्रीनिंग सुनिश्चित की जानी चाहिए।
18. डाइनिंग हॉल में एक समय में एक तिहाई छात्रों को ही प्रवेश की अनुमति होगी। छात्रावास में रहने वाले छात्रों को बाजारों में जाने से बचना चाहिए।
19. छात्रावास में रहने वाले छात्र यदि अपने घर जाते हैं तो वापिस छात्रावास में आते समय अपने साथ COVID – 19 की नवीनतम परीक्षण रिपोर्ट ले के आऐंगे जिसमें उनको COVID (Negative) घोषित किया गया हो।
20. छात्रावास में रहने वाले छात्र सफाई, स्वच्छता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी कर्मचारियों का सहयोग करेंगे।
21. छात्रावास में रहने वाले छात्रों के लिए फेस मास्क/कवर पहनना, हाथों की स्वच्छता, श्वसन स्वच्छता, शारीरिक दूरी के मानदंड़ और पर्यावरण स्वच्छता सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा।
22. खाना व उपयोग की वस्तुएं सांझा न करें।

Performa 1

Indira Gandhi University, Meerpur - Rewari

UNDERTAKING BY THE RESEARCH SCHOLAR/STUDENT FOR ADMISSION IN UNIVERSITY HOSTEL

Certify that I, ……………………………. S/o,D/o,W/o Sh………………………………. Roll No./Registration No. ……………………… Class ……………….. will follow all the norms of the University/Government regarding COVID – 19. If at any stage, it is found that I am not following the COVID-19 norms, my admission in University Hostel may be cancelled and I will not claim for any kind of fee refund.

Name: ………………………… Sign:…………………… Date: ………………………